# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 25/22 रमेश वगैरह बनाम शेरसिंह वगैरह

किस्ममुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 10.5.25 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रा.पत्र से संबंधित मूल वाद डिक्री के आधार पर खारिज हो चुका है। इस प्रा.पत्र को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। <br> उपखण्ड अधिकारी <br> मंण्डावर (दौसा) | |

राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा
प्रकरण संख्या 25/22
रमेश वगैरह बनाम शेरसिंह वगैरह
निर्णय दिनांक 10.05.25

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 25/22 | 19.05.22 | 10.05.25 |

**बउनवान**

1. रमेश सिंह पुत्र श्यामस्वरूप सिंह
2. गोविन्द सिंह पुत्र श्यामस्वरूप सिंह

जाति राजपूत निवासी हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...प्रार्थीगण

**बनाम**

1. शेरसिंह पुत्र श्यामस्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी हिंगोटा तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा, (राज.)।
2. राजकुमारी पुत्री श्यामस्वरूप सिंह जाति राजपूत निवासी हिंगोटा तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी 3/584 मुलतान नगर, अलवर नियर बाबई जे.एस फेयरहिल अलवर राज.
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।
4. उपपंजीयक बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

**उपस्थित** : 1.अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री रामअवतार सिंह नरूका
2.अप्रार्थीगण –स्वयं।

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

आज पत्रावली **राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा** में पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो किये जाने वाद पत्र पेश किया। प्रार्थीगण एवं उनके वकील ने अवगत कराया कि उनवानी प्रकरण में हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में मिल बैठकर राजीनामा हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी की बहिन राजकुमारी प्रतिवादी संख्या 02 जिनका राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2 निहित है, जो राजीखुशी अपने भाईयों को देना चाहती है एवं तहसीलदार साहब के यहां हक त्याग करने को तैयार है इसलिये तीनों भाई अपने नाम हक त्याग तहसीलदार बैजूपाडा के यहां करवा लिगें। प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर वादपत्र को विड्रो के आधार पर खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थीगण व उनके वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद विड्रो के आधार पर खारिज हो चुका है। इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 04.08.2022को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त (Vacate) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा सुनाया गया।

10.5.25

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच महवा